सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग सीहोर, जिला-सीहोर

विभागीय योजनाओं की जानकारी

शासन द्वारा संचालित की योजनाएं-

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन।
- बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजनो को आर्थिक सहायता।
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना।
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन सहायता योजना।
- सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्तता पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना।
- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता ।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना।

शासन द्वारा संचालित की योजनाएं-

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना।
- अन्त्योदय मेला।
- मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना।
- निःशक्त छात्रा वृत्ति योजना।
- निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना।
- निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्यन हेतु छात्रवृत्ति योजना।
- मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
- निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदाय योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता।
- वृद्धाश्रमों का संचालन।
- जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

म.प्र. शासन द्धारा गरीब, विधवा, परित्यक्ता, वृद्ध एवं विकलांगजनों हेतु विभिन्न हितग्राहियों मूलक पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। म.प्र. शासन द्धारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाईन किया जाना हैं एवं समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई-पेमेंट करने का निर्णय म.प्र. शासन द्धारा लिया गया हैं।

इस हेतु समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समग्र पेंशन पोर्टल तैयार किया गया हैं, समग्र पेंशन पोर्टल पर समस्त पेंशन योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ जिले/ निकाय/ गांव/ वार्डवार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी के साथ साथ विस्तृत जानकारी भी देख सकते हैं।

http://samagra.gov.in

http://pensions.samagra.gov.in/

http://sparsh.mp.gov.in

समग्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना!

पात्रता के मापदंड

- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने चाहिए ।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
- हितग्राही को प्रतिमाह उसकी वर्तमान आयु के अनुसार निम्नलिखित दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।

S.N	Gender	BPL	Age	Amount	GOI Contribution	State Contribution
1.	F/M	Y	60 <=Age<79	600	200	400
2.	F/M	Y	80>=Age	500	100	NILL

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना !

वृद्ध निराश्रित और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती हैं। इसके तहत ऐसे निराश्रित वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक नहीं हैं।

पात्रता के मापदंड

- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

S.N	Gender	BPL	Nirashit	Age	Amount
1	F/M	N	Y	60 <=Age	600

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना!

पात्रता के मापदंड

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी ।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के अनुसार 80 प्रतिशत नि:शक्तएता एवं सीबीयर डिसेबिलिटी होना चाहिए।
- निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह रु.600 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।

S. No.	Gender	Disabled	Disability Percentage	BPL	Age	Amount	GOI Contribution	State Contribution
1	F/M	Y	80 >=Percente	Y	18 से 79	600	300	300

सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना

नि:शक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती हैं। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

पात्रता के मापदंड

- 18 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्ता व्यक्ति जिसकी नि:शक्तिता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हों। गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।
- ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

S.N	Gender	BPL	Nirashit	Disability	Age	Amount	
1	F/M	Y		Y (40% disability)	18	600	PwDs

बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को आर्थिक सहायता

राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग / मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तसजन व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे परिवार के निःशक्तजन हेतु सभी श्रेणी के परिवारों को रूपये 600/- की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

यह उक्त योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक-316 दिनांक 30-6-2011 जारी कर गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे परिवार के निःशक्तजन हेतु बंधन समाप्त कर सभी श्रेणी के परिवारों को रूपये 600/- की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

- **पात्रता के मापदंड**
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो ।
- 6 वर्ष से अधिक आयु का हो ।
- बहुविलांग/मानसिक रूप से अविकसित हो (मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया गया हो)।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना !

पात्रता के मापदंड

- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी ।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
- विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह रु. 600 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है ।

S.N	Gender	BPL	Age	Amount	GOI Contribution	State Contribution
1	F	Y	40 से 79	600	300	300

सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना

विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता को लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

पात्रता के मापदंड

- 18 वर्ष से अधिक किंतु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष तक आयु की परित्यमक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- ऐसे समस्त हितग्राहियों को रु. 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

S.N	Gender	BPL	Age	Amount	
1	F	Y	18 से 39	600	Widow
2	F	Y	18 से 59	600	Deserted

मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ देने हेतु शासकीय शब्दावली में उन्हें 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहा जायेगा।

18 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कल्याणी महिला को मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना से लाभांवित किया जाता हैं।

पात्रता के मापदंड

- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
- आयकरदाता न हो,
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो

पेंशन की राशि

ऐसे समस्त हितग्राहियों जिनकी आयु 18 से 79 वर्ष तक हो उनको Rs.600/- प्रतिमाह
~80 से अधिक उम्र होने पर Rs.600/- प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जाएगी !

S.N	Gender	Age	Amount	Status
1	F	18 से 79	600	Widow
2	F	80	600	Widow

मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश मे 50 वर्षो से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से ''मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना'' प्रांरभ की गई है।

पात्रता के मापदंड

- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो,
- आयकरदाता न हो,
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- शासकय/अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
- अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।

पेंशन की राशि

50 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रतिमाह राशि रू. 600/- पेंशन दी जाएगी !

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना !

ऐसे दम्पित जिनकी संतान के रूप मे केवल कन्यानएं हो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से '' मुख्यिमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना '' प्रांरभ की गई ।

पात्रता के मापदंड

- हितग्राही दम्पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
- हितग्राही दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
- हितग्राही दम्पति की संतान के रूप में केवल पुत्री हो।
- हितग्राही दम्पति आयकर दाता ना हों।
- योजना अंतर्गत हितग्राही दम्पपति को रू. 600/- की सहायता राशि प्रतिमाह ।

S.N	Gender	BPL/NonBPL		Age	Amount
1	दम्पाति	आयकर दाता ना हों	केवल पुत्रियां हो वह भी विवाहित	60 >=Age (किसी एक की आयु न्यूनतम 60 वर्ष या इससे अधिक)	600

दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि

नि:शक्त और गरीब बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती हैं। इसके तहत 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि से लाभांवित किया जाता हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक हैं।

पात्रता के मापदंड

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्तय व्याक्ति जिसकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- ऐसे समस्त बच्चों को रु0 600/- प्रतिमाह शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदाय की जा रही है ।

S.N	Gender	BPL	Disability	Age	Amount
1	F/M	Y	Y (>=40% disability)	6 से 18	600

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्यड जो मुख्य कमाउ सदस्य हो की प्राकृतिक / अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

पात्रता के मापदंड

- **मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष कम होना अनिवार्य है।**
- **मृतक परिवार का मुख्य कमाउ सदस्य रहा हो |**
- **मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य हों ।**

सहायता राशिः- राशि रू. 20,000 एकमुश्त आर्थिक सहायता |

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

प्रदेश शासन द्वारा कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है।

पात्रता के मापदंड

1. कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो,
3. आयकरदाता न हो,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
5. कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
6. कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हो रहा हो उसकी पत्नी जीवत ना हो।
7. कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह/निकाह योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

लाभ

कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कल्याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना

मुख्यमंत्री कन्यदान योजना वर्ष 2006 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन जनपद पंचायत / नगरीय निकायों द्वारा आयोजित किये जाकर गरीव, निर्धन परिवार की कन्या / विधवा / परित्यकतताओं के विवाह कराये जाने का प्रावधान है।

योजना की पात्रताः-

म0प्र0 का मूल निवासी हो कन्या की आयु 18 वर्ष बर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।

योजना का लाभ क्या प्राप्त होगाः-

शासन द्वारा वर्तमान मे इस योजना के अंतर्गत राषि रू. 51000/- की गई है जिसके अंतर्गत कन्या के खाते मे राषि रू. 48000/- प्रदान की जाती है तथा राषि रू. 3000/- प्रति जोडा व्यवस्था हेतु आयोजनकर्ता निकाय को प्रदान किये जाते है।

योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
3. पासपोर्ट साईज फोटो।
4. समग्र आईडी

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत।

अन्त्योदय मेला

प्रदेश मे संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से समस्त जिलों मे अन्त्योदय मेलो का आयोजन किया जाता है।

यह शासन द्‌वारा दिनांक 13.10.2010 से प्रारंभ किया गया है।

इस योजनान्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर अन्त्योदय मेलो का आयोजन किया जाता है जिसका कैलेण्डर कलेक्टर महोदय द्‌वारा जारी किया जाता है।

निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो
2. कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो।
3. परिवार का मुखिया आयकरदाता न हो।
4. कन्या या वर 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त हो।

योजना का लाभ क्या प्राप्त होगाः-

कन्या या वर दोनो में से एक निःशक्त होने पर 2,00,000/- रू. तथा दोनो निःशक्त होने पर 1,00,000/- रू. प्रोत्साहन राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है।

योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. वर वधु का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
3. सक्षम अधिकारी का विवाह प्रमाण पत्र।
4. वर वधु कभी अलग न होने संबंधी शपथ पत्र।
5. वर वधु का संयुक्त पासपोर्ट साईज फोटो।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से कलेक्टर जिला सीहोर।

निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो तथा छात्र/छात्रा 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त हो।
2. अभिभावक की वार्षिक आय 96000/- रू. से कम हो।
3. छात्र/छात्रा को प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

योजना का लाभ क्या प्राप्त होगाः-

1. कक्षा 6 तक 25/- रू. प्रतिमाह।
2. कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 30/- रू. एवं छात्रा को 35/- रू. प्रतिमाह।
3. कक्षा 9 से 12 छात्र को 100/- रू. एवं छात्रा को 120/- रू. प्रतिमाह।
4. स्नातक के छात्र/छात्रा को 250/- रू. प्रतिमाह
5. स्नाकोत्तर छात्र/छात्रा को 300/- रू. प्रतिमाह।
6. तकनीकी शिक्षा स्तर पर गैर छात्रावासी छात्र/छात्रा को 250/- रू. तथा छात्रावासी छात्र/छात्रा को 500/- रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
3. आय प्रमाण पत्र।
4. कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकसूची की प्रमाणित प्रति।
5 निःशक्तता प्रमाण पत्र।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

संबंधित स्कूल / कालेज के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए उप संचालक सामाजिक न्याय।

निःशक्तजन प्रोत्साहन योजना

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो।
2. छात्र/छात्रा 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त हो।
3. छात्र/छात्रा कक्षा 8, 12 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया हो।
4. छात्र/छात्रा का सिविल सेवा की परीक्षा में चयन हुआ हो।

योजना का लाभ क्या प्राप्त होगाः-

1. कक्षा 8 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 2500/- रू.।
2. कक्षा 12 में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर 3000/-रू. की राशि पुरूष्कार स्वरूप दी जाती है।
3. सिविल सेवा में चयन होने पर प्रथम परीक्षा में 20000/- रू. द्धितीय परीक्षा में 30000/-रू. तृतीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20000/- रू. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
3. अंकसूची की प्रमाणित प्रति।
4. निःशक्तता प्रमाण पत्र।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

संबंधित स्कूल /कालेज के माध्यम से उप संचालक सामाजिक न्याय।

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना

योजना का उददेश्यः-

इस योजना का उददेश्य निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10$2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन मे स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों मे नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है।
4. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
5. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।

योजनान्तर्गत सहायताः-

नियमानुसार फीस, शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो मे स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रू. 500/- प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र मे रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

निःशक्त छात्र/छात्रा को अपने संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रमुख को जिसमे वह अध्ययनरत है, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय।

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्यन हेतु छात्रवृत्ति योजना।

योजना का उददेश्यः-

योजनांतर्गत 2-2 अस्थिबाधित, 2-2 श्रवण बाधित एवं 2-2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रति वर्ष विदेश मे विशिष्ट क्षेत्रों मे स्थातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शेध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों मे भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु-संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र मे अनुभव के साथ शोध उपाधि (पीएचडी)
4. शोध उपाधि (पीएचडी) हेतु- संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र मे दो वर्षो का अध्यापन/शोध/व्यवसायिक अनुभव/एम.फिल. उपाधि
5. स्नाकोत्तर उपाधि हेतु - स्नातक उपाधि में प्रथम उपातधि मे प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी
6. स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

आयुक्त, सामाजिक न्याय एंव निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल।

कृत्रिम अंग उपकरण/शल्यक्रिया उपचार प्रदाय हेतु चिन्हांकन

योजना की पात्रताः-

1. म0प्र0 का मूल निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त हो।
3. हितग्राही अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदबुद्धि हो।

योजना का लाभ क्या प्राप्त होगाः-

1. 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले अस्थि बाधित हितग्राही को चिकित्सक के परामर्श से ट्रायसिकल , व्हील चेयर, वैसाखी,केलीपर्स शूज निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।
2. 40 प्रतिशत से अधिक दृष्टि बाधित निःशक्तजन को बेल छड़ी प्रदान की जाती है।
3. 40 प्रतिशत से अधिक श्रवण बाधित निःशक्तजन को श्रवणयंत्र निःशुल्क प्रदाय किया जाता है
4. 40 प्रतिशत से अधिक मानसिक मंदबुद्धि निःशक्तजन को मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु 18 वर्ष की आयु तक एम.आर. किट निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।
5. 40 प्रतिशत से अधिक अस्थि बाधित निःशक्तजन की शल्यक्रिया उपचार चिकित्सा निःशुल्क करायी जाती है

योजना में लाभ प्राप्त के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजः-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
2. निःशक्तता प्रमाण पत्र।
3. पासपोर्ट साईज फोटो।
4. चिकित्सा का प्रमाण पत्र।

स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारीः-

जिला मेडिकल बोर्ड के परामर्श अनुसार संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी उप संचालक सामाजिक न्याय एवं जिला कलेक्टर।

वृद्धाश्रम का संचालन

प्रवेश हेतु पात्रता:-

1. वृद्ध, निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति जिनकी देखभाल के लिए कोई न हो।
2. वृद्धजन की आयु 60 वर्ष या अधिक हो।
3 वृद्ध संक्रामक रोग से ग्रस्त या उन्मत्त, मद्य सेवन का आदी या व्यसनी न हो।
4. आश्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करना होगा।
5. निराश्रित वृद्ध म.प्र. का निवासी हो।

सुविधाएं:-

1. आवास तथा भोजन व्यवस्था।
2. कपड़े, नित्य उपयोगी सामग्री।
3. चिकित्सा सुविधाएं।
4. पुस्तकालय तथा वाचनालय।

प्रवेश हेतु सम्पर्क:-

1. कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि।
2. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का जिला अधिकारी।
3. संबंधित पंचायत/स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि।
4. जिला स्वास्थ्य अधिकारी या उसका प्रतिनिधि।
5. प्रायोजक या प्रतिनिधि (वृद्धाश्रम का संचालक करने वाली संस्था का पदाधिकारी अथवा वृद्धाश्रम का प्रबंधक)

पदाभिहित अधिकारीः- कलेक्टर

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

उद्देश्यः-

निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के उद्देश्य से जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

सुविधाएं:-

- कैंप एप्रोच के तहत विकलांग व्यक्तियों को सर्वेक्षण एवं पहचान करना।
- विकलांग से बचाव, शीघ्र पहचान करने हेतु जागरूकता सृजन।
- प्रारंभिक सहायता सहायक उपकरणों का आंकलन करना, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमैंट, उपकरणों की मरम्मत।
- उपचारात्मक सेवाएं।
- विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य रियायतें/सुविधाएं प्रदान करना।
- विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों और पारिवारिक सदस्यों की काउंसलिंग।
- बाधारहित वातावरण का संवर्धन करना।
- विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- अध्यापको, समुदाय और परिवार को अभिमुखी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- रेफरल सेवाएं प्रदान करना।

अनुदान सहायताः-

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र संचालन हेतु आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण सीहोर

दूरभाष नं. ☎ **07562&227039]** E-Mail- pswseh@mp.nic.in

कर्मचारियों के दूरभाष नंबर की सूची

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	मोबाईल नंबर	ईमेल
1	2	3	4	5
1	श्रीमति प्रभा प्यासी	सहा-ग्रे-3	9752132991	pswseh@mp.nic.in
2	श्री रमेशचन्द्र कारपेन्टर	सहा-ग्रे-3	8827110567	pswseh@mp.nic.in
3	श्री अरूण कुमार सक्सेना	सहा-ग्रे-3	9589232359	aksaxena1959@gmail.com
4	श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	कलाकार	9301884974	pswseh@mp.nic.in
5	श्री मुकेश कुमार राय	सहा-ग्रे-3	9131612044	pswseh@mp.nic.in
6	श्री कृपाल चैधरी	सहा-ग्रे-3	9752247412	kripal97@gmail.com
7	श्री कैलाश श्रीवास	भृत्य	7748065344	pswseh@mp.nic.in
8	श्रीमति रामवती राठौर	भृत्य	8224938397	pswseh@mp.nic.in
9	श्रीमति सुधा बनवासी	भृत्य	9826699269	pswseh@mp.nic.in